UPUN010043152026

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।
जमानत प्रार्थना–पत्र सं0–1825/2026

पंकज उम्र 30वर्ष पुत्र हेमराज निवासी ग्राम खैलामऊ, थाना सोहरामऊ, जिला उन्नाव।
————————अभियुक्त।

प्रति

राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा शासकीय अधिवक्ता फौजदारी उन्नाव।
————————अभियोगी।

20.07.2026

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र अभियुक्त पंकज की ओर से अपराध संख्या–158/2026, अर्न्तगत धारा–109(1),191(2),118(1),352,351(3)बी0एन0एस0, थाना–सोहरामऊ, जिला उन्नाव के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक है कि वादिनी मुकदमा श्रीमती रमाता ने इस आशय की तहरीर थानाध्यक्ष सोहरामऊ, जिला उन्नाव को दी कि दिनांक 16.06.2026 को शाम लगभग 6 बजे वादिनी श्रीमती रमाता अपने घर पर परिवार सहित थी, तभी हेमराम उर्फ मुखिया पुत्र चन्द्रिका, सोनू, पंकज, पायल पुत्रगण हेमराज व उनकी पत्नी नाम अज्ञात बिना किसी वजह के मॉ बहन की गालियां देने, जिसका उसने व उसके पुत्रों द्वारा विरोध किया तो पंकज, सोनू जो घर से धारदार हथियार (चाकू कुल्हाड़ी) लेकर उसके पुत्र विक्रम, फूलचन्द्र व ठाकुर प्रसाद पर जान से मारने की नियत से तीनों के सिर पर वार करने लगे, उसके पुत्र विक्रम के सिर पर चाकू व कुल्हाड़ी से वार करने के कारण अचेत होकर गिर पड़ा, गॉव के लोग चीख पुकार सुनकर बचाने के लिए आये। आपातकालीन सेवा 112 पुलिस ने आकर उसके व उसके परिवार की जान बचाई, हमला करने वाले सभी लोग पुलिस को देखकर जान से मारने की धमकी देकर कहा, अगर तुमने पुलिस में शिकायत की तो परिवार सहित जान से मार देगे।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया कि वह निर्दोष है। उसको गॉव की पार्टीबंदी के कारण झूठा फसाया गया है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसके हाथ में कोई हथियार नहीं दिखाया गया है, ना ही उसके द्वारा कोई चोट पहुॅचाना कहा गया है। उस पर धारा 118(1),109(1) बी0एन0एस0 का कोई अपराध नहीं बनता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। सहअभियुक्त हेमराज की जमानत न्यायालय द्वारा दिनांक 10.07.2026 का स्वीकार की जा चुकी है। उसका यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके पूर्व उसकी ओर से कोई भी जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय में नहीं दिया गया है और न ही विचाराधीन है और नही खारिज हुआ है। उक्त आधार पर जमानत प्रदान करने की याचना की गयी।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

अभियोजन का तर्क है कि अभियुक्त द्वारा ने सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर चोटहिल विक्रम को चाकू व कुल्हाड़ी से मारपीट कर गम्भीर चोटे पहुॅचाई। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त करने की कृपा करें।

अभियुक्त की ओर से तर्क दिया गया कि उसको गॉव की पार्टीबंदी के कारण झूठा फसाया गया है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। उसके हाथ में कोई हथियार नहीं दिखाया गया है। उसके द्वारा कोई चोट नहीं पहुॅचाई गयी। केस डायरी के अवलोकन से विदित है कि घटना दिनांक

Digitally signed by ANIL KUMAR VERMA
Date: 2026.07.20 17:04:42 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

16.06.2026 के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 18.06.2026 को संबंधित थाने पर विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। घटना का कोई स्वतंत्र गवाह नही बताया गया है। चोटहिल विक्रम की आघात आख्या में उसके सिर पर दो कटे हुए घाव की चोट पाई गयी, उक्त चोटो के सी.टी. स्कैन हेतु रिफर किया गया। सी0टी0 स्कैन रिपोर्ट के अनुसार उक्त चोटों में कोई गम्भीर चोट नहीं पाई गयी। संबंधित थाने द्वारा अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नही प्रस्तुत किया गया है। सहअभियुक्त हेमराज उर्फ मुखिया की जमानत दिनांक 10.07.2026 को न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। अभियुक्त दिनांक 18.06.2026 से जिला कारागार मे निरूद्ध है।

अतः मामले के उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष पर टीका–टिप्पणी किये बगैर अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का आधार पाया जाता है। तद्नुसार अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त पंकज द्वारा अपराध पराध संख्या–158/2026, धारा–109(1),191(2),118(1),352,351(3) बी0एन0एस0 थाना–सोहरामऊ जिला उन्नाव के मामले मे प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1825/2026 स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु0–50,000/–रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर जमानत पर रिहा किया जाए।

दिनांक–20.07.2026
राकेश/–

(अनिल कुमार वर्मा–प्रथम)
जे0ओ0कोड0नं0–यू0पी0–6552
सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।